

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3977 / 2025

देवेन्द्र कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :-चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—तृतीय लेवल—प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जहानपुर, ब्लॉक गोविन्दगढ़, जिला अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिगरिया, कठूमर, जिला अलवर में किया गया है एवं आदेश दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 16.07.2025 जारी कर अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर नियुक्ति हेतु दिशा—निर्देश जारी किये थे। उक्त दिशा—निर्देशों के निर्देश सं. 4 में यह कहा गया था कि एल-1 एवं एल-2 के शिक्षकों के मामलों में नियम 6(3) की कार्यवाही नहीं हुई है, तो उन्हें पंचायती राज पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। अपीलार्थी के मामले में नियम 6(3) की कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए अपीलार्थी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति का अधिकारी है। अपीलार्थी को प्रारंभ में कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा

आदेश दिनांक 03.06.2022 से अध्यापक ग्रेड III लेवल-1 के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि प्रतिबन्ध अवधि में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित किया गया तथा बिना 6डी के उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित कर दिया, जबकि उसे जयपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की पूर्व सहमति लिए बिना ही आदेश पारित कर दिया, क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद की गई थी और इसलिए आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की नियुक्ति दूरस्थ की है, जबकि निकटवर्ती स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अलघाना/मालीबास साकीपुर/कुंताबास सिंगराका, ब्लॉक गोविंदगढ़, जिला अलवर में अध्यापक ग्रेड III, L-1 के पद रिक्त हैं। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 14.08.2025 (अनुलग्नक-5) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक-2) को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य